न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/347

मिसल नम्बर– 98 / 2024

1.परिमल कुमार राय पुत्र श्री नलिनी राय आयु 76 वर्ष
2.बसन्ती राय पत्नी श्री परिमल कुमार राय आयु 70 वर्ष निवासीगण रंगपुर रोड महावीर कॉलोनी सागर स्कूल के पास कोटा थाना रेलवे कॉलोनी कोटा जं0 कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.प्रितेश कुमार राय पुत्र श्री परिमल कुमार राय आयु 39 वर्ष
2.पूजा राय पत्नी प्रितेश कुमार राय आयु 32 वर्ष निवासीगण रंगपुर रोड महावीर कॉलोनी सागर स्कूल के पास कोटा थाना रेलवे कॉलोनी कोटा जं0 कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री देवानंद प्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रंगपुर रोड, महावीर कोलोनी, सागर स्कूल के पास कोटा, थाना रेलवे कोलोनी कोटा जं०, जिला कोटा, थाना रेलवे कोलोनी कोटा जं०, जिला कोटा राजस्थान के रहने वाले है। प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित कमाई से प्लाट खरीद कर मकान रंगपुर रोड, महावीर कोलोनी, सागर स्कूल के पास कोटा, थाना रेलवे कोलोनी कोटा जं०, जिला कोटा में रहने के लिये बनाया था तथा जिसमें नल बिजली कनेक्शन हो रहे है प्रार्थीगण जिसमें निवास कर रहे है, प्रार्थी क्रम 1 के मकान का इकरारनामा स्वयं के नाम से है प्रार्थीगण वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थीगण के मकान में अप्रार्थीगण जोर जबरन निवास कर रहे है तथा अप्रार्थीगण प्रितेश राय व पूजा राय के द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते आ रहे थे तथा मारपीट करते है तथा प्रार्थीगण की एक मंदबुद्धि पुत्री लिपिका राय है जिसके साथ भी अप्रार्थीगण के द्वारा गाली गलोच व मारपीट की जाती है तथा प्रार्थीगण को उनके स्वयं के मकान से अप्रार्थीगण बेदखल करना चाहते है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार का भरण पोषण आदि भी नही दिया जा रहा है और न ही खाना पीना आदि दिया जा रहा और न ही ईलाज आदि करवाया जा रहा है तथा प्रार्थीगण के पुत्र मुकेश राय एवं ध्रुवेश राय के द्वारा देखभाल, भरण पोषण ईलाज आदि किया जाता हैं तथा प्रितेश राय व उसकी पत्नी पूजा राय के द्वारा प्रार्थीगण के साथ आये दिन लडाई झगडा, गाली गलोच, धक्का मुक्की करते है तथा प्रितेश राय घर पर आता है तो शराब के नशे में आता है तथा इसकी पत्नी सभी मिलकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते है धक्का मुक्की, मारपीट करते है और घर से बाहर निकाल देते है तथा कुण्डी लगाकर ताला लगा देते है लेटबाथ को भी अपने कब्जे में कर लिया है जिसका उपयोग भी नही करने देते हैं। पानी की टंकियो को भी अपने कब्जे में कर लिया है जिसमें पानी भरने नही देते है तथा नल बिजली आदि का उपयोग व उपभोग नही करने देते है तथा कुछ कहने पर प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण गाली गलोच करते है यह प्रार्थीगण को स्वयं के घर से बेदखल करना चाहते है जबकि मकान प्रार्थीगण की स्वयं की कमाई से बनाया हुआ है, प्रार्थी कम 1 के नाम से उक्त मकान का इकरारनामा लिखा हुआ है, अप्रार्थीगण जोर जबरन से प्रार्थीगण को मकान से निकालकर मकान को हडपना चाहते है पूरे मकान पर अप्रार्थीगण के द्वारा कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं करते है और बीमार होने पर देखभाल नही करते है, ईलाज–दवा आदि नही करते है, प्रार्थीगण बहुत वृद्ध व्यक्ति है प्रार्थीगण कोई कामकाज नही कर पाते है प्रार्थीगण के पास आय का कोई साधन नही है। अप्रार्थीगण के द्वारा नल बिजली का बिल जमा नही करते है तो प्रार्थीगण ने सोने चांदी के जेवर बेचकर बिल जमा कर दिये है अब प्रार्थीगण के पास कुछ भी नही बचा है तथा अप्रार्थीगण प्रितेश राय व पूजा राय के द्वारा जान से मारने की हमेशा धमकी देते आ रहे है तथा मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर रखा हैं तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की बेटी लिपिका राय के साथ मारपीट की गई है और घर से बेदखल कर दिया है तथा घर में घुसने नही दिया गया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 10.10.2024 को थाना रेल्वे कालोनी कोटा में दर्ज करायी गयी है तथा इस संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा थाने में व एस0पी0 साहब कोटा शहर को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही हुई। अप्रार्थीगण के द्वारा कहा जाता है कि तुम लोग हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के मकान में अप्रार्थीगण जोर जबरन निवास कर रहे है तथा अप्रार्थीगण प्रितेश राय व पूजा राय के द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते आ रहे थे तथा मारपीट करते है तथा प्रार्थीगण की एक मंदबुद्धि पुत्री लिपिका राय है जिसके साथ भी अप्रार्थीगण के द्वारा गाली गलोच व मारपीट की जाती है तथा प्रार्थीगण को उनके स्वयं के मकान से अप्रार्थीगण बेदखल करना चाहते है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार का भरण पोषण आदि भी नही दिया जा रहा है और न ही खाना पीना आदि दिया जा रहा और न ही ईलाज आदि करवाया जा रहा है इसलिये प्रार्थीगण के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करके मकान पर कुब्जा दिलाया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण प्रितेश राय एवं पूजा राय से मकान खाली करवाकर सुपुर्दगी में दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जाये।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने

वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान रंगपुर रोड महावीर कॉलोनी सागर स्कूल के पास कोटा थाना रेलवे कॉलोनी कोटा जं0 कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की पुत्री के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा करें, भरण पोषण एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा